न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

अपील संख्याः 223/2023 GCMS No.—2022/166

पूर्व दर्ज नंबर 81/22

श्रवण पुत्र छीतर जाति धानका, निवासी ग्राम गांवली, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. नाथूलाल पुत्र लादू जाति धानका, निवासी ग्राम गांवली, तहसील आंधी, जिला जयपुर।
2. श्रीमती सुनीता पुत्री लादू पत्नी श्री मदनलाल जाति धानका निवासी धानको का मोहल्ला, बस स्टैण्ड के पीछे, तूंगा तहसील बस्सी, हाल तहसील तूंगा जिला जयपुर।

रेस्पाडेन्ट्स

3. पूरण पुत्र छीतर
4. जगदीश पुत्र छीतर
5. बनवारी पुत्र छीतर
6. रामफूल पुत्र छीतर
7. हरिसिंह पुत्र छीतर
8. राधेश्याम पुत्र छीतर
9. नारायणी पत्नी स्व0 श्री छीतर
10. शंकर पुत्र भौरा

    समस्त जाति धानका, निवासी ग्राम गांवली, तहसील आंधी, जिला जयपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आंधी, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

.... प्रारूपिक रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार आंधी जिला जयपुर दिनांक 11.07.2022 नामान्तकरण संख्या 396 ग्राम गांवली तहसील आंधी, जिला जयपुर में सुरेश पुत्र लादू नाऔलाद फौत होने का विरासतन नामान्तकरण।

उपस्थितः–

1. श्री नरपत सिंह अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री राजेश कुमार पारीक अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 1 ओर से।

निर्णय दिनांकः 13.10.2025

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार आंधी के निर्णय 11.07.2022 जिससे नामान्तरकरण संख्या 396 वाके ग्राम गांवली, तहसील आंधी रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम स्वीकार किया गया जिससे असंतुष्ट होकर अपील दिनांक 12.08.2022 को न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार पारीक उपस्थित आये। रेस्पा0 संख्या 2 लगायत 10 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। रेस्पा0 संख्या 11 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। पत्रावली पर नामान्तकरण की प्रमाणित छायाप्रति के आधार पर एवं उभय पक्ष अधिवक्ता की सहमति से प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। वकील अपीलांट एवं अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 1 एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम गांवली तहसील आंधी स्थित साबिक खसरा नंबर 392 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 393 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 395 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 24 बीघा 18 बिस्वा के खातेदार काश्तकार भौरिया पुत्र ग्यारसा व गोपी पुत्र झूथा जाति धानका देह जयसिंहपुरा दर हिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार दर्ज थे। राजस्व अभिलेखो में अपीलांट के दादा गोपी पुत्र झूथाराम के फौत होने पर रेस्पा0 संख्या 1 व 2 के हक पूर्वाधिकारी लादू पुत्र कालूराम द्वारा अवैध रूप से गोपी पुत्र झूथा की विरासत में अपना नाम अंकित करवा लिया। जिसका फायदा उठाते हुए लादूराम पुत्र स्व0 श्री कालू फौत होने के पश्चात उसकी विरासत का नामान्तकरण संख्या 321 उनके वारिसान ने अपने नाम दर्ज करवा लिय जो पूर्णतः अवैध है। लादू पुत्र गोपी ने अपने आपको गोपी का पुत्र बताते हुए राजस्व भू अभिलेखो में अंकन करवा लिया जबकि लादू पुत्र कालू राजकीय सेवा में था और उसके पिता का नाम कालूराम ही दर्ज था, परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के अनुसार मृतक खातेदार के हक पूर्वाधिकारी छीतर पुत्र गोपी के नाम के साथ लादू पुत्र गोपी अंकित करते हुए प्रारूपिक रेस्पाडेन्ट संख्या 10 का हिस्सा 1/2 तथा अपीलांट एवं प्रारूपिक रेस्पाडेन्ट संख्या 3 लगायत 9 के साथ रेस्पा0 संख्या 1 व 2 के पिता ने उक्त भूमि विवादग्रस्त में हिस्सा 1/2 अंकित करवा लिया, जो अवैध है। विवादग्रस्त भूमि में पूर्व में अपीलांट के दादा स्व0 श्री गोपी पुत्र झूथा जाति धानका की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी एवं गोपी के स्वर्गवास हो जाने पर उनके एक पुत्र छीतर प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने के आधार पर विरासत का नामान्तकरण तस्दीक किया जाना आवश्यक होने के पश्चात भी तहसीलदार महोदय ने रेस्पा0 संख्या 1 व 2 के पिता लादू पुत्र कालूराम धानका के नाम अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 396 पारित फरमा दिया गया जो अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। गोपी पुत्र झूथा के जाईन्दा पुत्र छीतर एवं छीतर के फौत होने के पश्चात अपीलांट एवं प्रारूपिक रेस्पा0 संख्या 3 लगायत 9 विधिक वारिसान है। गोपी पुत्र झूथा की विरासत तय करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार से नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की अवहेलना कर अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार आंधी द्वारा नामान्तकरण संख्या 396 दिनांक 11.07.2022 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित फरमाया जावे कि मृतक गोपी पुत्र झूथा की विरासत उसके विधिक वारिसान के नाम तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विद्धान अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 1 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार अपीलाधीन आराजीयात पर सभी काश्तकार अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। स्वयं अपीलांट के भाई पूरण ने उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष बंटवारे का वाद पेश कर रखा है। यदि रेस्पा0 संख्या 1 व 2 लादू के वारिस नहीं होते तो अपीलांट के भाई द्वारा बंटवारे का वाद पेश नहीं किया जाता। अपीलांट ने अपने पिता छीतर के फौत होने पर उनके हिस्से का फौती नामान्तकरण स्वयं और अपने भाईयो और अपनी मां के नाम स्वीकार करवाया है तथा जो हिस्सा दर्ज है उसकी जानकारी अपीलांट को प्रारम्भ से रही है। अपीलांट द्वारा बदनीयति से अपील पेश की गयी है। अपीलांट के यदि अपीलाधीन भूमि में कोई हक अधिकार है तो वे सक्षम संस्थान में कार्यवाही करनी चाहिए। 50 वर्षो के मध्य जितने नामान्तकरण स्वीकार हुए है और राजस्व रिकॉर्ड में विरासत के नामान्तकरण के जरिये नाम अंकित हुए वह स्वयं अपीलांट की जानकारी में स्पष्ट रूप से है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने गये है। अपीलांट द्वारा गलत तथ्य पेश कर अपील पेश की गयी है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

अपीलांट द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर पेश की गयी अपील खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण स्व. लादू के नाऔलाद फौत होने पर उसके भाई व बहिन के हक में विरासत के आधार पर तस्दीक किया गया है जिसमें कोई त्रुटि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गयी है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान उपस्थित अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं अपीलाधीन नामान्तकरण की छायाप्रति अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 396 पटवारी हल्का द्वारा सुरेश कुमार लादू के नाऔलाद फौत होने पर उनके भाई व बहिन रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 के हक में मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, फर्द मौका रिपोर्ट के आधार पर भरा गया जिसके आधार पर तहसीलदार आंधी द्वारा दिनांक 11.08.1965 को स्वीकार किया गया। विद्धान अधिवक्ता अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलाधीन भूमि अपीलांट की पैतृक आराजीयात है जिसके संबंध में अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। न्यायालय हाजा का श्रवण क्षेत्राधिकार नामान्तकरण के बिन्दु पर है एवं न्यायालय हाजा को किसी के हक, अधिकार को तय किये जाने बाबत क्षेत्राधिकार प्रदत्त नहीं है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसीडिंग्स है जिसमें किसी के हक, हकक अधिकार के बिन्दु को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और न ही इस बावत क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित है। यदि अपीलांट के अपीलाधीन आराजीयात के संबंध

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

में किसी प्रकार हक अधिकार निहित है तो वे सक्षम स्तर पर चाराजोई हेतु स्वतंत्र है। अपीलांट द्वारा मियाद के बिन्दु पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तथ्य भी न्यायोचित प्रतीत नहीं होते है। अपीलांट द्वारा अपने कथनो के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया कि अपीलाधीन भूमि में अपना हक अधिकार किस प्रकार निहित रखते है। अपीलाधीन नामान्तकरण के अवलोकन से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार सुरेश कुमार लादू हिस्सा 1/8 के फौत होने पर उनकी विरासत का नियमानुसार नामान्तकरण संख्या 396 तस्दीक किया जाना जाहिर होता है। अपीलाधीन नामान्तकरण को तस्दीक किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्या त्रुटि की गयी है, अधिवक्ता अपीलांट साबित नहीं कर पाये। इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

(विनीता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर